



राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—पी.एफ.2326/संस्था/बीमा/2020/ 6474

दिनांक: 31-08-2020

श्री दिलिप कुमार वडेतियां पुत्र श्री ओमप्रकाश,  
प्लॉट नं- 57, मानसिंहपुरा रैगर बस्ती,  
टोंक रोड़, जयपुर, राजस्थान-303109

विषय:— राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश दिनांक 22.06.2020 को जारी किया जिसमें आपका पदस्थापन जिला कार्यालय भीलवाड़ा में किया गया है।

उक्त आदेश की अनुपालना में आपके द्वारा आदिनांक तक जिला कार्यालय भीलवाड़ा में कार्यग्रहण नहीं किया गया है। अतः राज्य हित को ध्यान में रखते हुए आपको दिनांक 15.09.2020 तक कार्यग्रहण करने का अंतिम अवसर दिया जाता है। कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपका मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग को लौटा दिया जायेगा।

(के0 एम0 दूडिया)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग  
राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-पी.एफ.2370/संस्था/बीमा/2020/ 6462


दिनांक: 31-08-2020

श्री सीताराम मीणा पुत्र श्री नाथूराम मीणा,  
ग्राम-जमवाघाट, पोस्ट-खवारानीजी  
तहसील-जमवारामगढ़, जिला-जयपुर,  
राजस्थान-303109

विषय:- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश दिनांक 22.06.2020 को जारी किया जिसमें आपका पदस्थापन जिला कार्यालय झालावाड़ में किया गया है।

उक्त आदेश की अनुपालना में आपके द्वारा आदिनांक तक जिला कार्यालय झालावाड़ में कार्यग्रहण नहीं किया गया है। अतः राज्य हित को ध्यान में रखते हुए आपको दिनांक 15.09.2020 तक कार्यग्रहण करने का अंतिम अवसर दिया जाता है। कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपका मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग को लौटा दिया जायेगा।

  
(के० एम० दूडिया) 27/08/2020

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग  
राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- पी.एफ. 2259/संस्था/बीमा/2020/ 6473

दिनांक: 31-08-2020

अंजू वर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश वर्मा,  
43, कांता कोलोनी, एनबीसी स्टाफ क्वार्टर के पीछे,  
खातीपुरा रोड़, जयपुर राजस्थान-302021

विषय:- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश दिनांक 22.06.2020 को जारी किया जिसमें आपका पदस्थापन जिला कार्यालय नागौर में किया गया है।

आपके द्वारा कार्यग्रहण अवधि में शिथिलता लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तहत आपको दिनांक 17.08.2020 तक कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई परन्तु आपके द्वारा आदिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है।

अतः राज्य हित को ध्यान में रखते हुए कार्यग्रहण अवधि में शिथिलता देते हुए आपको दिनांक 15.09.2020 तक कार्यग्रहण करने का अंतिम अवसर दिया जाता है। कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपका मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग को लौटा दिया जायेगा।

  
27/08/2020  
(के0 एम0 दूडिया)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग  
राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—पी.एफ.2334 / संस्था / बीमा / 2020 / 6472

दिनांक: 31-08-2020

श्री इंकेश कुमार मीणा पुत्र श्री शंकर लाल मीणा,  
मु.पो.—नारेहड़ा, तहसील— कोटपूतली, जिला—जयपुर,  
राजस्थान—303105

विषय:— राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश दिनांक 22.06.2020 को जारी किया जिसमें आपका पदस्थापन जिला कार्यालय बांरा में किया गया है।

उक्त आदेश की अनुपालना में आपके द्वारा आदिनांक तक जिला कार्यालय बांरा में कार्यग्रहण नहीं किया गया है। अतः राज्य हित को ध्यान में रखते हुए आपको दिनांक 15.09.2020 तक कार्यग्रहण करने का अंतिम अवसर दिया जाता है। कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपका मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग को लौटा दिया जायेगा।

(के० एस० दूडिया)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग  
राजस्थान, जयपुर

27/08/2020



राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-पी.एफ.2303 / संस्था / बीमा / 2020 / 6470

दिनांक: 31-08-2020

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द जाजू,  
जी- 57, भीमनगर, रामदेई स्कूल के सामने,  
खुदनपुरी रोड़, देहली रोड़, अलवर, राजस्थान-301001

विषय:- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश दिनांक 22.06.2020 को जारी किया जिसमें आपका पदस्थापन जिला कार्यालय भीलवाड़ा में किया गया है।


उक्त आदेश की अनुपालना में आपके द्वारा आदिनांक तक जिला कार्यालय भीलवाड़ा में कार्यग्रहण नहीं किया गया है। अतः राज्य हित को ध्यान में रखते हुए आपको दिनांक 15.09.2020 तक कार्यग्रहण करने का अंतिम अवसर दिया जाता है। कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपका मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग को लौटा दिया जायेगा।

(के० एम० दूडिया)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

राजस्थान, जयपुर

  
27/08/2020



रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- पी.एफ. 2283/संस्था/बीमा/2020/ 6471

दिनांक: 31-08-2020

रजनी मोर्य पुत्री श्री कजोड़मल मोर्य,  
म.नं- 145, ग्राम- कुन्दनपुरा, पोस्ट- जगतपुरा,  
जिला-जयपुर राजस्थान-302017

विषय:- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश दिनांक 22.06.2020 को जारी किया जिसमें आपका पदस्थापन मुख्यालय जयपुर में किया गया है।

आपके द्वारा कार्यग्रहण अवधि में शिथिलता लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तहत आपको दिनांक 17.08.2020 तक कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई परन्तु आपके द्वारा आदिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है।

अतः राज्य हित को ध्यान में रखते हुए कार्यग्रहण अवधि में शिथिलता देते हुए आपको दिनांक 15.09.2020 तक कार्यग्रहण करने का अंतिम अवसर दिया जाता है। कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपका मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार (गुप-3) विभाग को लौटा दिया जायेगा।

  
(के0 एम0 दूडिया)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग  
राजस्थान, जयपुर



रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- पी.रूफ. २२१५ / संस्था / बीमा / 2020 / 6448

दिनांक: 31-08-2020

श्री पवन कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार सोनी,  
मं. न. 408, बार्ड नं. 12, गोठड़ा(खेतड़ी नगर)  
तहसील-खेतड़ी, जिला- झुन्झुनु,  
राजस्थान-333504

विषय:- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश दिनांक 22.06.2020 को जारी किया जिसमें आपका पदस्थापन जिला कार्यालय नई दिल्ली में किया गया है।

आपके द्वारा कार्यग्रहण अवधि में शिथिलता लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तहत आपको दिनांक 17.08.2020 तक कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई परन्तु आपके द्वारा आदिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है।

अतः राज्य हित को ध्यान में रखते हुए कार्यग्रहण अवधि में शिथिलता देते हुए आपको दिनांक 15.09.2020 तक कार्यग्रहण करने का अंतिम अवसर दिया जाता है। कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपका मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग को लौटा दिया जायेगा।

  
(के० एम० दूडिया)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग  
राजस्थान, जयपुर



रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- पी.एफ. 2316/संस्था/बीमा/2020/ 6475

दिनांक: 21-08-2020


श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री देवीलाल,  
जीनगरो का वास, सिवाना  
तहसील-सिवाना, जिला- बाड़मेर,  
राजस्थान-344044

विषय:- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश दिनांक 22.06.2020 को जारी किया जिसमें आपका पदस्थापन जिला कार्यालय बाड़मेर में किया गया है।

आपके द्वारा कार्यग्रहण अवधि में शिथिलता लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तहत आपको दिनांक 17.08.2020 तक कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई परन्तु आपके द्वारा आदिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है।

अतः राज्य हित को ध्यान में रखते हुए कार्यग्रहण अवधि में शिथिलता देते हुए आपको दिनांक 15.09.2020 तक कार्यग्रहण करने का अंतिम अवसर दिया जाता है। कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपका मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग को लौटा दिया जायेगा।

  
(के.एम.डूडिया)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग  
राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- पी.एफ. 2339/संस्था/बीमा/2020/ 6527

दिनांक: 31-08-2020

श्री त्रिलोक चन्द मीना पुत्र श्री छोटेलाल मीना,  
E-1/385, लक्ष्मण पथ, चित्रकूट योजना,  
अजमेर रोड, जयपुर  
राजस्थान-302021

विषय:- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में चयनित एवं विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश दिनांक 22.06.2020 को जारी किया जिसमें आपका पदस्थापन जिला कार्यालय जैसलमेर में किया गया है।

आपके द्वारा कार्यग्रहण अवधि में शिथिलता लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तहत आपको दिनांक 17.08.2020 तक कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई परन्तु आपके द्वारा आदिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है।

अतः राज्य हित को ध्यान में रखते हुए कार्यग्रहण अवधि में शिथिलता देते हुए आपको दिनांक 15.09.2020 तक कार्यग्रहण करने का अंतिम अवसर दिया जाता है। कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपका मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग को लौटा दिया जायेगा।

  
(के० एम० दूडिया) 31/08/2020

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग  
राजस्थान, जयपुर